

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 317/2025

वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

- रणजीत सिंह पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
- ऋषभ पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।

--वादीगण

- करनिया पुत्र जीवन जाति मेघवाल सा.नाथवाना
- मोती पुत्र जीवन जाति मेघवाल सा.नाथवाना
- सूरज पुत्र देवसी जाति मेघवाल सा.नाथवाना
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

बहु राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(आर.ए.एस.) के समक्ष मुझे इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जायिम मुई वकील प्रतिवादी .....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- चक 2 डीएलपी की जमाबंदी सम्वत 2071-2073 के खाता संख्या 101/83 में वादी संख्या 1 रणजीत सिंह को 3.036 हेक्ट एवं वादी संख्या 2 ऋषभ को 2.428 हेक्ट. जाति जाट साकिन नाथवाना को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है उक्त खाते में कुल रकबा 5.464 है. नहरी व बारानी प्रथम मय गै.मु. होगा।

चक 2 डीएलपी की जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 101/83 इस खाते में करनिया पुत्र जीवन 111 हि. माती पुत्र जीवन 111 हि. सुरजा पुत्र देवसी 223 हि. जाति मेघवाल सा.नाथवाना का मुताबिक जवाब स्टेट कब्जा काशत नहीं है। उक्त खाते से हिस्सा व नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- प्रश्नगत वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय यदि किसी आदेश आदि से प्रभावित नहीं होता हो तो स्टेट की अनुशांषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। जवाब स्टेट अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के

मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....1.8.2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया